न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 60/2023

उनवान

1. प्रेमलता पिता मंगला खटीक नि0 मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. जाकीर हुसैन मुख्तीयार शाकीर रजाक नि0 मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. कमरू पिता चांद शाह फकीर नि0 मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. जब्बार पिता चाद शाह फकीर नि0 मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. सादीक पिता चाद शाह फकीर नि0 मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. सत्तार पिता चाद शाह फकीर नि0 मंगरोप तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. जमना लाल पिता वगतावर खटीक नि0 मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. लादुलाल पिता वगतावर खटीक नि0 मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
8. नानूराम पिता भूरा खटीक नि0 मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
9. शिवलाल पिता रामचन्द्र गांधी नि0 मगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
10. शफी मोहम्मद पिता अकवर खा मुसलमान नि0 मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
11. कसम पिता अकवर खां मुसलमान नि0 मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
12. सावुदीन पिता अकवर खां मुसलमान नि0 मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
13. सोहन पिता जालम खटीक नि0 मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
14. हजारी पिता जालम खटीक नि0 मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
15. कन्हैयालाल पिता प्यारचन्द खटीक नि0 मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
16. सीताराम पिता प्यारचन्द खटीक नि0 मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
17. नारायण पिता प्यारचन्द खटीक नि0 मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
18. प्रवन्धक आईडीवीआई वैंक शाखा भीलवाडा।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 07.06.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 05.06.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम मंगरोप प.ह. मगरोप, भू.अ.नि. मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा की आ.न. 1651 रकबा 0.3288है0 एवं आराजी नम्बर 4006/1838 रकबा 0.2782है0, व आराजी नम्बर 1652 रकबा 0.1391है0 व आराजी नम्बर 4098/1656 रकबा 0.1012 है0 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संवंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05.06.2023 को पंजीवद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 18 वावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत वहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम गंगरोप प.ह. मगरोप, भू.अ.नि. मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा की आ.न. 1651 रकबा 0.3288है0 एवं आराजी नम्बर 4006/1838 रकबा 0.2782है0, व आराजी नम्बर 1652 रकबा 0.1391है0 व आराजी नम्बर 4098/1656 रकबा 0.1012 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/—पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 07.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ